www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 03.04.2017

अलग-अलग मामलों में प्राइवेट फर्म के एक कर्मी व भारतीय खाद्य निगम के दो कर्मियों को तीन वर्ष की कारावास

ए.सी.एम.एम. की अदालत, मुम्बई ने आज मैसर्स राजिन्दर पाइप्स लिमिटेड, रायपुर के तत्कालीन कर्मी श्री राम कृष्ण अग्रहरि को 5,000 रू. जुर्माने सहित 03 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने दिनांक 23.03.2007 को मामला दर्ज किया। जॉच से पता चला कि मैसर्स राजिन्दर पाइप्स लिमिटेड, रायपुर के श्री राम कृष्ण अग्रहरि ने आई.डी.बी.आई. से 20 करोड़ रू. (लगभग) के सावधि ऋण को मंजूर कराने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया। मैसर्स राजिन्दर पाइप्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट को स्थापित करने की झूठी सूचना दी गई। ऋण के भुगतान के पश्चात, उक्त ऋण को सहयोगी संस्था के मद में प्रयोग किया गया। आरोपी श्री राम कृष्ण अग्रहरि के विरूद्ध दिनांक 23.07.2008 को ए.सी.एम.एम. की अदालत, मुम्बई में आरोप पत्र दायर किया गया।

एक अन्य मामले में, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश-।।।, एर्नाकुलम् (केरल) ने भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.), मुझापिलन्गड, जिला कन्नूर (केरल) में कार्यरत तत्कालीन सहायक प्रबन्धक (डिपो) श्री पी. लक्ष्मणनन् और सहायक ग्रेड-।। श्री के. दासन को दोषी ठहराया एवं उन्हें 50,000 रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

****